बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

26 SEP 2012

आदेश

संoसंo–1/पाo मेo–19–04/2009 488 (1)/पटना, दिनांक– २५ सितम्बर 2012 ~~जुलाई~~, 2012–

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संo–1028 (1), दिनांक 21.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली 2005 की कंडिका–6 में निहित प्रावधान के आलोक में कुर्जी होली फैमली अस्पताल, सदाकत आश्रम, पटना को विभागीय पत्रांक 512 (1) दिनांक– 9.07. 2010 द्वारा कतिपय विषयों में पारा मेडिकल प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने हेतु दी गई मात्र दो वर्ष की अनुमति के आलोक में मेडिकल प्रयोगशाला टेकनिशियन एवं एक्स–रे टेकनिशियन विषयों में डिप्लोमा कोर्स संचालन के अवधि विस्तार हेतु स्वीकृति देने के निमित्त नियमावली, 2005 के मानक के अनुरूप स्थल निरीक्षण करने की आवश्यकता है। स्थल निरीक्षण हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है:–

R.P.G

1) प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना — अध्यक्ष

2) विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी एवं रेडियोलॉजी विभाग पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना अथवा उनके प्रतिनिधि — सदस्य

3) सिविल सर्जन, पटना — सदस्य

यह समिति संचालित संस्थान का स्थल निरीक्षण कर वर्णित नियमावली 2005 में निहित प्रावधानों एवं निर्धारित मापदण्ड के आलोक में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं एवं स्टाफ के संबंध में जाँच कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ संलग्न विहित प्रपंत्र में प्रतिवेदन दिनांक 30.09.12 तक विभाग को समर्पित करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(साँवर भारती)
प्रशासी पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–1 /पाo मेo–19–04/2009 488 (1)/पटना, दिनांक– 24 सितम्बर ~~जुलाई~~, 2012–

प्रतिलिपि :– प्रभारी "ई"" गजट शाखा, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/विभागध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी एवं पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, पारा मेडिकल कोर्स विद्यालय, कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, सदाकत आश्रम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रशासी पदाधिकारी–
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना